

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (वि.स.स.स.)

अज्ञ अवलोकन

श्री राम लाल

वनाम

श्रीमती लक्ष्मी देवी


किस्म मुकदमा

128 PTA

चं.

27/18

सं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16-4-18	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>निवृत्त</u>..... ग्राम.....<u>निवृत्त</u>.....की आ.न.....<u>1362</u>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p>	 <p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p> <p>Web Copy - Not Official</p>
	<p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	
	<p style="text-align: center;">M उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	